प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव　　थाना एस.वी.बी　　वर्ष 2014　प्र.सू.रि.स 22　　दिनांक　19.09.2014

2.अधिनियम　　पी.सी एक्ट　　धाराएं　7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

3.(क) घटना का दिन　शुक्रवार　　दिनांक　से　दिनांक 19.9.2014

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना　　दिनांक　19.9.2014　　समय 5.30 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ)　　(प्राविष्टि संख्या) 12　　समय 5.40 पी0एम0

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर　　(लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा　　(क)　(थाने से दिशा एंव दूरी) लगभग 60 कि.मी.

(ख) पता : कार्यालय हरिजन कल्याण निगम रेवाडी।

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) सिटी, रेवाडी

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) संदीप　　(ख) (पिता/पति का नाम) सपुत्र श्री अभे सिंह

(ग) (जन्म तिथि)　　(घ)　(राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0　　(जारी करने की तिथि)　　(जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय)　मेहनत– मजदूरी　　(पता)　संदीप सपुत्र अभे सिंह बावरिया निवासी बांव मुन्दी जिला रेवाडी।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. अमर सिंह अकाउन्टेट,
2. सोमेश कर्मचारी।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री कृष्ण कुमार निरीक्षक एस.वी.बी (ह) यूनिट रेवाडी बादस्त ई.एच.सी हरपाल सिंह न0 289/रेवाडी प्राप्त हुई। जिसका विषय इस प्रकार से है, सेवा में श्री मान जी सविनय निवेदन यह है कि मै संदीप सपुत्र अभेसिंह गांव मुन्दी जिला रेवाडी का रहने वाला हॅू। मैने मेरी माता समोती देवी पत्नी अभय सिंह के नाम से भैसो के लोन के लिए फार्म जमा किए थे जो की मेरी माता जी के नाम से दो भैसों का लोन मंजूर होने के बाद हमें एक भैसं पर 5000/–रूपये की सब्सीडी पहले मिल चुकी है जो हमने अकाउन्टेन्ट अमर सिंह से चैक द्वारा राशी ले ली थी। अब अकाउन्टेन्ट अमर सिंह ने कर्मचारी सोमेश के द्वारा मुझसे 2000/– रू की मांग कर रहा है, जो आज भी मेरी बात सोमेश से हुई है, मै रिश्वत नही देना चाहता, बिना रिश्वत दिये अकाउन्टैन्ट अमर सिंह सब्सीडी के पैसे देगा नही इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। हस्ता हिन्दी संदीप सपुत्र अभे सिंह जाति बावरिया गांव मुन्दी जिला रेवाडी फोन न0 8816869894

कार्यवाही पुलिस :– आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय यूनिट रेवाडी हूँ कि एक दरखास्त शिकायत कर्ता सन्दीप सपुत्र अभे सिंह निवासी मुन्दी ने बाबत मांगने रिश्वत रूपये 2000/– मन निरीक्षक को पेश की जो की मजबून दरखास्त से सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर लिख कर बाराये करने दर्ज मुकदमा बदस्त ई.एच.सी हरपाल सिंह न0 289/रेवाडी के अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर से सूचित किया जावे। मन निरीक्षक रवाना बराये कराने नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब के रवाना उपायुक्त कार्यालय रेवाडी का होता हूँ। हस्ता/– अग्रेंजी कृष्ण कुमार इंस्पैक्टर एस.वी.बी (ह) रेवाडी दिनांक 19.09.2014 अज रेवाडी कार्यालय एट 3.15 पी.एम. अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरान बाला भेजी जायेगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा इलाका मैजिस्ट्रेट साहब की सेवा मे तथा असल मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा इ.एच.सी हरपाल सिंह के हवाले की गई।

हस्ता हिन्दी/– जगदीश चन्द्र
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगदीश चन्द्र
पद : निरीक्षक
सख्यां : 141/एच.ए.पी
दिनांक 19.09.2014 एट 7 पी.एम